

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

एफ 13(51) कार्मिक/क-1/गो.प्र./08


जयपुर, दिनांक:

12 APR 2010

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 5.6.08 के द्वारा राज्य सेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने हेतु कार्य मूल्यांकन अनुदेश 2008 जारी किये गये थे । इन अनुदेशों के अनुदेश-7 द्वारा संभागीय / जिला स्तरीय राज्य सेवकों के लिए नये कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र-1 अन्य राज्य सेवा अधिकारियों के लिए प्रपत्र-1A एवं अधीनस्थ सेवा अधिकारियों/मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिये प्रपत्र-3 निर्धारित कर वर्ष 2008-09 एवं इससे आगे की अवधि के लिए प्रतिवेदन इन्हीं प्रपत्रों में भर कर भिजवाने के निर्देश दिये गये थे ।

लेकिन ये देखने में आया कि राज्य सेवा के कुछ अधिकारियों की ओर से वर्ष 2008-09 के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन इस विभाग द्वारा निर्धारित उक्त प्रपत्रों में प्राप्त नहीं हो कर पुराने प्रपत्रों में ही प्राप्त हो रहे हैं । अतः समस्त प्रमुख शासन सचिव, / शासन सचिव विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया राज्य सेवा / अधीनस्थ सेवा के कर्मिकों के उक्त निर्धारित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्रों में ही भरकर भिजवाये जावें ।


प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. मुख्य सचिव, राज्यपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री ।
3. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव ।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव
5. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव मंत्री / राज्य मंत्री / संसदीय सचिव
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित ।
9. प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।


उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. रक्षित पत्रावली ।


उप शासन सचिव